

सं. 8/30/2010-सी.एस.-11(ग)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 19 अगस्त 2010


कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद् के निजी स्टाफ से संबंधित संशोधित वेतन ढाँचे के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संघीय मंत्रिपरिषद् के निजी स्टाफ को स्वीकार्य वेतनमान/पे बैंड दर्शाने वाले अनुदेश समय-समय पर इस विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद् के निजी स्टाफ से संबंधित संशोधित वेतन ढाँचा निम्नानुसार होगा :-

पद का नाम	वेतनमान / पे बैंड (रूपए में)	ग्रेड पे (रूपए में)
निजी सचिव	37400-67000 (पी बी - 4)	8700
	15600-39100 (पी बी - 3)	7600
अपर पी एस	15600-39100 (पी बी - 3)	6600
सहा. पी एस	15600-39100 (पी बी - 3)	5400 (सीएसएसएस/सीएसएस के पी एस/एस ओ को, जो ग्रेड में 'अनुमोदित सेवा' के चार वर्ष पूरे किए हुए हो)
	9300-34800 (पी बी - 2)	4800
प्रथम पी.ए.	9300-34800 (पी बी - 2)	4800
द्वितीय पी.ए.	9300-34800 (पी बी - 2)	4600
हिन्दी पी.ए.	9300-34800 (पी बी - 2)	4200
एल.डी.सी./लिपिक	5200-20200 (पी बी - 1)	1900
परिचर	5200-20200 (पी बी - 1)	1800
चपरासी	5200-20200 (पी बी - 1)	1800

2. सभी मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।


(जे. मिंज)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 24623157

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग